



Operation Conviction बरेली पुलिस

METICULOUS INVESTIGATION & CONVICTION



श्री मानुष पारीक पुलिस अधीक्षक
नगर /नोडल अधिकारी ऑपरेशन
कन्विकशन जनपद बरेली।

श्री दिगम्बर सिंह एडीजीसी
एफटीसी-01 कोर्ट बरेली।

हे0का0 29 जितेन्द्र कुमार
कोर्ट मोहररिं एफटीसी-01
कोर्ट बरेली।

उ0नि0 आशाराम कोर्ट
पैरोकार थाना नवाबगंज
जनपद बरेली।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन कन्विकशन अभियान के अन्तर्गत सनसनीखेज वाद में आज दिनांक 06-02-2025 को श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र बरेली के निर्देशन एवं श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय के कुशल नेतृत्व एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर /नोडल अधिकारी आपरेशन कन्विकशन जनपद बरेली व थाना के पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में माननीय न्यायालय एफटीसी-01 कोर्ट द्वारा थाना नवाबगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 170/2024 धारा-498ए/304बी/302/34 भादवि0 व 3/4 डी0पी0एक्ट में अभियुक्तगण 1.मकसद अली पुत्र साबिर अली 2.साबिर अली पुत्र सुब्हान शाह 3.मसीतन उर्फ हमशीरन पत्नी साबिर अली नि0गण0 ग्राम जयनगर थाना नवाबगंज जनपद बरेली को दोषसिद्ध करते हुए धारा-302/34 भादवि0 में प्रत्येक को मृत्युदण्ड व 1,00,000-1,00,000रु0 अर्थदण्ड व धारा-498ए भादवि0 में 03-03 वर्ष का कारावास व 10,000-10,000रु0 अर्थदण्ड व धारा-03 दहेज प्रतिषेध अधि0 में 05-05 वर्ष का कारावास व 50,000-50,000रु0 अर्थदण्ड व धारा-04 प्रतिषेध अधि0 में प्रत्येक को 20,000-20,000रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 05-05 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। (कुल अर्थदण्ड-5,40,000 रु0)





Operation Conviction बरेली पुलिस

METICULOUS INVESTIGATION & CONVICTION



श्री मानुष पारीक पुलिस अधीक्षक
नगर /नोडल अधिकारी ऑपरेशन
कन्विकशन जनपद बरेली।

श्री स्वतन्त्र कुमार पाठक
एडीजीसी एससी/एसटी
कोर्ट बरेली।।

म0का0 रश्मि कोर्ट मोहररिं
एससी/एसटी कोर्ट बरेली।

का0 नीरज कोर्ट पैरोकार
थाना क्योलड़िया जनपद
बरेली।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन कन्विकशन अभियान के अन्तर्गत सनसनीखेज वाद में आज दिनांक 06-02-2025 को श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र बरेली के निर्देशन एवं श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय के कुशल नेतृत्व एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर /नोडल अधिकारी आपरेशन कन्विकशन जनपद बरेली व थाना के पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में माननीय न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट द्वारा थाना क्योलड़िया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 380/2008 धारा-376डी/302/149/201 भादवि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्तगण 1.रामेश्वरदयाल पुत्र श्यामाचरन 2.पप्पू उर्फ एडवोकेट पुत्र घोसीराम गंगवार 3.बादल उर्फ अब्दुल रहमान पुत्र सद्दीक 4.कुँवरसेन पुत्र नत्थूलाल गंगवार 5.निरंजनलाल गंगवार पुत्र परमेश्वरीदयाल 6.भगवानदास गंगवार पुत्र परमेश्वरीदयाल नि0 ग्राम मेथी नवदिया थाना क्योलड़िया जनपद बरेली को दोषसिद्ध करते हुए धारा-302/149 भादवि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में प्रत्येक को आजीवन कारावास व 30,000-30,000रु0 अर्थदण्ड व धारा-376डी भादवि0 में प्रत्येक को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व 25,000-25,000रु0 अर्थदण्ड व धारा-201 भादवि0 में प्रत्येक को 04-04 वर्ष का कारावास व 10,000-10,000रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। (कुल अर्थदण्ड-3,90,000 रु0)





Operation Conviction बरेली पुलिस

METICULOUS INVESTIGATION & CONVICTION



श्री मानुष पारीक पुलिस अधीक्षक
नगर /नोडल अधिकारी ऑपरेशन
कन्विकशन जनपद बरेली।

श्रीमति पूनम उपाध्याय लोक
अभियोजक एसीजेएम-04 कोर्ट
जनपद बरेली।

म0का0 नूतन कोर्ट मोहर्रिर
एसीजेएम-04 कोर्ट
जनपद बरेली।

का0 किरनपाल कोर्ट पैरोकार
थाना भुता जनपद बरेली।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन कन्विकशन अभियान के अन्तर्गत अन्य वाद में आज दिनांक 06-02-2025 को श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र बरेली के निर्देशन एवं श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय के कुशल नेतृत्व एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर /नोडल अधिकारी आपरेशन कन्विकशन जनपद बरेली व थाना के पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में माननीय न्यायालय एसीजेएम-04 कोर्ट द्वारा थाना भुता पर पंजीकृत मु0अ0सं0 540/2004 धारा-25 शस्त्र अधि0 में अभियुक्त हरद्वारीलाल पुत्र छदम्मीलाल बढई नि0 ग्राम अठाना थाना भुता जनपद बरेली को जुर्म इकबाल के आधार पर दोषसिद्ध करते हुए धारा-3/25 शस्त्र अधि0 में जेल में वितायी गयी अवधि व 1,000रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

